राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1670 दिनांक 12/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 305/2013 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान किशनाराम बनाम भूराराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 305/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थी– 1. किशनाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट
निवासी जैसार, तहसील चौहटन।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. भूराराम पुत्र तगाराम जाति मेघवाल
2.हनुमानराम पुत्र धर्माराम जाट
3.रामूराम पुत्र मेहाराम जाट
जाति जाट, निवासी जैसार, तहसील चौहटन
4. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री वीरमाराम धारासर
विप्रार्थीगण वकील – श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक :– 4/7/12

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के परिवार भूमिहीन होने से राज्य सरकार द्वारा पक्षकारान को मौजा जैसार के खसरा सं. 3 में कृषि भूमि का आवंटन कर कब्जा दिया गया । उस आवंटन के तहत प्रार्थी को रकबा 49.12 बीघा का आवंटन कर आवंटित भूमि का खसरा सं. 230/3 कायम किया गया। प्रार्थी आंवटित भूमि का खातेदार हो चुका है। प्रार्थी की आवंटित भूमि निम्न पड़ौस के मध्य आई हुई है उतर खसरा सं. 228/3 रकबा 23.10 बीघा, विप्रार्थी सं. 2 , दक्षिण खसरा सं. 229/3 रकबा 50.00 बीघा विप्रार्थी सं. 1, पश्चिम खसरा सं. 231/3 रकबा 29.00 बीघा विप्रार्थी सं. 3, पूर्व आवंटित खसरा सं. 3 के पड़ौसी खसरा सं. 1 व 2 खसरा सं. 228/3, 229/3 व 231/3 पड़ौसियान के खातेदारान की नकल खतौनी सलंग्न है, मूल खसरा सं. 3 जिसमें से उक्त आवंटन हुए है। उक्त आवंटन से पूर्व के सेढ़ा पड़ौसियान से कोई विवाद न होने के कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया।

प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 खसरा सं. 230/3 व 229/3 के मध्य तरमीम लाइन पक्षकारान के आवंटित खातेदारी रकबे के अनुसार न होने से कब्जा व लट्ठा ट्रेस में अन्तर है और यही विवाद का कारण है। अतः आवेदन मय नजरी नक्शा व प्रार्थी का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा जैसार के मूल खसरा सं. 3 से आवंटित खसरा सं. 230/3 व पड़ौसी खसरा सं. 228/3

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

खसरा सं. 229/3, खसरा सं. 231/3 की तरमीम प्रविष्टियां बाद पैमाईस लट्ठा ट्रेस में तरमीम दरस्त करने के आदेश विप्रार्थी सं. 4 के नाम फरमावे।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री फताराम गोदारा ने वकालतनामा तथा जवाब पेश किया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में दिनांक 04.07.2017 को पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो पत्रावली शामिल की गई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उपभयपक्षकारान ने जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर तरमीम शुद्ध की जावे तो हम सभी पक्षकार सहमत है। उभयपक्षकारान को सुना गया। प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि कि प्रार्थी का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा जैसार, तहसील चौहटन में खसरा सं. 229/3 व खसरा सं. 230/3 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौका फर्द जाँच

मु.काम - जैसार

राज. बनाम आवेदन नं. 305/13

आज दिनांक 03/7/2017 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चौहटन के आदेशानुसार प्रकरण नं. 305/13 बाबत धारा 136 RLR Act अभिलेख वास्ते लठ्ठा दुरुस्ती में तरमीम शुद्धि काश्तकार किशनाराम पुत्र लाखाराम व भूराराम पुत्र तगाराम में खेत खसरा नम्बर 230/3 रकबा 49.12 बीघा व 229/3 रकबा 50 बीघा मौजा जैसार का मौका जाँच हेतु हल्का पटवारी जैसार के साथ मौके पर पहुँचा। वर्तमान जमाबंदी एवं लठ्ठा दुरुस्ती में स्थिति निम्न प्रकार है:

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लठ्ठा दुरुस्ती में तरमीम
1. किशनाराम वल्द लाखा - राज्य बनाम सह खातेदारान	230/3 348/3	49.12 0.08	बारानी [illegible]	43.00
2. हनुमान वल्द [illegible] आदि खातेदार	228/3	23.10	बारानी	23.10
3. भूरा वल्द तगा [illegible] आदि खातेदार	229/3	50	बारानी	57.00
4. रामू पुत्र मेघा [illegible] आदि खातेदार	231/3	29	बारानी	29.00

ख.नं. 230/3 एवं ख.नं. 229/3 में लठ्ठा दुरुस्ती में 7 बीघा का अन्तर आता है। अतः संलग्न प्रस्तावित नक्शा [illegible] अनुसार ख.नं. 230/3 व 229/3 में निम्न प्रकार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	तरमीम उपरान्त
1. किशनाराम वल्द लाखा - राज्य बनाम सह खातेदारान	230/3 348/3	49.12 0.08	बारानी बारानी	49.12 0.08
2. भूरा वल्द तगा [illegible] सह खातेदार	229/3	50	बारानी	50.00

उक्त खातेदारान को आपत्ति नहीं होने से ख.नं. 229/3 व ख.नं. 230/3 में [struck through] 50-50 बीघा भूमि की लठ्ठा दुरुस्ती में तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

Count 8 4/7/17

G.S
4/7/17
तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

03-07-17
प. जैसार
Explant

03/7/17
ILR [illegible]

प्रस्तावित नक्शा
मौजा ...
तह० चौहटन

राजस्व आवेदन 6- 305/13

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ... (चौहटन)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान ....

राजीनामा प्रपत्र

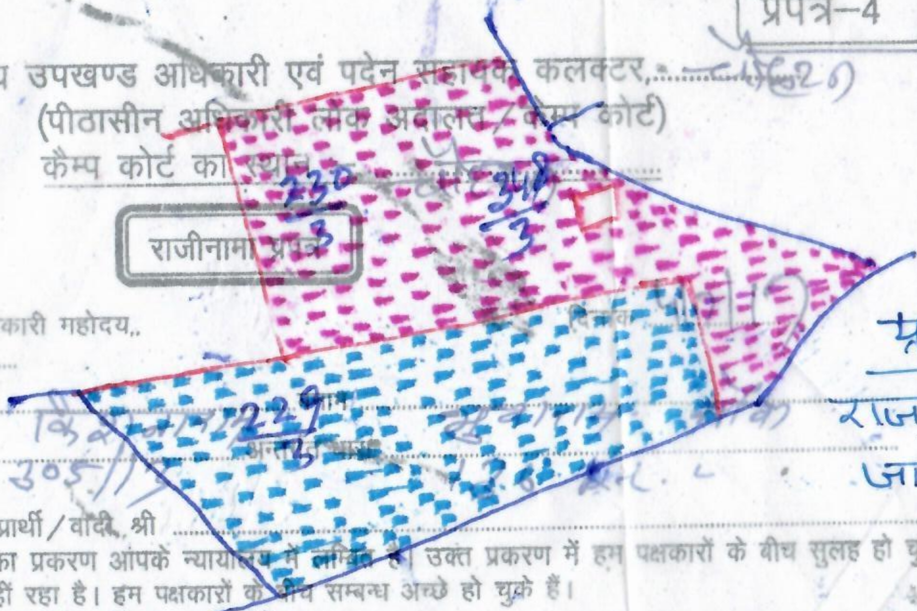

सेवामें,
श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
....

प्रकरण संख्या :– .... 305/13 ....

महोदय,
उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी, श्री .... का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आंपके न्यायालय में लंबित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

① ... खसरा नं. 230/3 ...
② ... 229/3 ...

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. .... प्रतिवादी पक्ष 1. ....
2. ....
3. .... 3. ....
4. .... 4. ....

4.7.17
तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

03-07-17
प. जैलार

03/7/17

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क जारी की गई।
03-07-17
प. जैलार